



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13364

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1644/2026

आवेदक: लखन शर्मा

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिवादी

आवेदक के वकील:

आशीष पांडेय, निकिल पाठक, प्रज्ञा पांडेय

प्रतिवादी के वकील:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।
2. आवेदक के वकील श्री निकिल पाठक, शिकायतकर्ता के वकील श्री धीरेंद्र कुमार अग्रहरी तथा राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक अपराध संख्या 224/2025, धारा 103(1), 238, 3(5) बी.एन.एस., पुलिस थाना - कासना, जिला - गौतम बुद्ध नगर, में सुनवाई के दौरान जमानत की मांग करता है।
4. आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि इसी प्रकार स्थित सह-आरोपी दीपक कुमार को पहले ही इस न्यायालय ने जमानत प्रदान की है (7.1.2026, आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 44635/2025)। आवेदक 9.11.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। चूँकि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी के समान है, इसलिए समानता (Parity) के आधार पर वह भी जमानत का हकदार है।
5. शिकायतकर्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के विरोध में दलीलें दीं, तथापि सह-आरोपी के समानता और आवेदक के अपराधिक इतिहास की तथ्यात्मक बातें अस्वीकार नहीं की गईं।
6. मामले के तथ्य, पक्षकारों की दलीलें और अभिलेख, तथा सुप्रीम कोर्ट के पारस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021, इस न्यायालय के नन्हा पुत्र नभन खाँ बनाम राज्य उत्तर प्रदेश, 1993 Cri.L.J. 938 और सुप्रीम कोर्ट के सतेंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 SCC OnLine SC 825 के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, तथा मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत का योग्य आधार प्रस्तुत किया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. आवेदक - लखन शर्मा, जो उक्त मामले में संलग्न है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह व्यक्तिगत बांड और दो समान राशि के जमानती न्यायालय की संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

- i) आवेदक सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव/भयभीत नहीं करेगा।
- iii) आवेदक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन इस न्यायालय में जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।

9. बांड स्वीकार करने से पूर्व आवेदक और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की जांच न्यायालय द्वारा की जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के दौरान की गई टिप्पणियाँ न्यायाधीश को गवाहों की गवाही पर स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

20 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।